छाया प्रति नकल आदेश दिनांक 04/10/2008 न्यायालय उपजिलाधिकारी पुरवा, उन्नाव

(3)

न्यायालय उप जिलाधिकारी पुरवा जनपद उन्नाव।

वाद सं० 01

अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० ग्राम पारा परगना मौरावां तहसील पुरवा जनपद उन्नाव।

1-कुलदीप पुत्र रामदेव
2-रामबाबू पुत्र रामकृष्ण
3-हरीनारायन पुत्र उमाशंकर
4-रामदेव पुत्र रामकृष्ण

निवासी ग्राम पारा परगना मौरावां तहसील पुरवा जनपद उन्नाव।

5-पंडित ललता प्रसाद,रामकृष्ण महाविद्यालय झान्सी नगर पारापरगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव द्वारा प्रबन्धक श्रीमती कान्ती शुक्ला--------वादीगण

बनाम

1-गांवसभा पारा द्वारा अध्यक्ष श्री इरशाद अली नि० पारा परगना मौरावां तहसील पुरवा जनपद उन्नाव--प्रतिवादी

निर्णय
=======

प्रस्तुत वाद वादी कुलदीप आदि नि० ग्राम पारा परगना मौरावां तहसील पुरबा जिला उन्नाव ने गांवसभा पारा को पक्षकार बनाते हुए धारा 143 ज०वि० अधिनियम के अर्न्तगत यह कहते हुए प्रस्तुत किया है कि भूमि संख्या 1540ग रकबा 1.265हे० स्थित ग्राम पारा परगना मौरावां तहसील पुरबा जिला उन्नाव के मालिक काबिज एवं संक्रमणीय भूमिधर है। वादीगण 1 ता 4 ने अपनी भूमि का एक हेक्टेयर क्षेत्रफल वादी सं०-5 के पक्ष मे दान पत्र तहरीर कर इस क्षेत्रफल पर विद्यालय का निर्माण करा दिया है तथा शेष क्षेत्रफल खेल का मैदान है। उसमे कृषि कार्य नही होता है। विद्यालय बाउन्ड्री के अन्दर है । उक्त भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्रफल का प्रयोग कृषि से भिन्न आवासीय प्रयोजन मे किया जा रहा है। अन्त मे भूमि नं० 1540ग रकबा 1.265हे० को आबादी घोषित कराये जाने की याचना की है।

उक्त केसम्बन्ध मे तहसीलदार पुरवा से निर्धारित 16 बिन्दुओं पर जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 24-9-08 द्वारा अवगत कराया है कि भूमि सं० 1540ग रकबा 1.265 हे० बमाल 10-55 पर वादी सं० 1 ता 5 के नाम संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप मे दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि मौरावां मोहनलालगंज पक्के मार्ग के किनारे है जिसके उत्तर रास्ता चकरोड है, दक्षिण भूमि नं० 1541 है तथा पूरब 1540ग/5 कमरूद्दीन का खेत है, पश्चिम मौरावां मोहनलालगंज पक्का मार्ग है। बाउन्ड्री चारों तरफ बनी है। बीच मे प० ललताप्रसाद, रामकृष्ण महाविद्यालय का भवन निर्मित है। वर्णित भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्यपालन,कुक्कुट पालन, बागवानी व पशुपालन के उपयोग मे न होकर आबादी के रूप मे लाया जाता है। भूमि संख्या 1540ग रकबा 1.265हे० क्षेत्रफल को धारा 143 के अर्न्तगत आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति की है।

मैने पत्रावली तथा उस पर रक्षित समस्त अभिलेखों व साक्ष्यों तथा तहसील--दार की आख्या दिनांक 24-9-08 का विधिवत् परीक्षण किया। पत्रावली पर रक्षित आख्या से स्पष्ट है कि वर्णित भूमि कृषि कार्य के प्रयोजन हेतु उपयुक्त न होने तथा

मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागबानी व पशुपालन के उपयोग मे न होने तथा महाविद्यालय का भवन निर्मित होने के कारण भूमि संख्या 1540मि रकबा 1.265हे० बमाल 10-55 को अकृषिक घोषित किए जाने मे कोई विधिक बाधा नही प्रतीत होती है। वर्णित भूमि किसी संस्था या बैंक के पक्ष मे बन्धक नही है। और न ही उक्त भूमि गांवसभा, गर्वनमेंट. लोकलबाडी भूमि है।

आदेश
=======

अत: ग्राम घारा परगना मौरावां तहसील पुरवा जिला उन्नाव की भूमि संख्या 1540मि रकबा 1.265हे० बमाल 10-55 को ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखागार हो।

उप जिलाधिकारी पुरवा.
उन्नाव।

आज दिनांक 4-10-08 को यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिलाधिकारी पुरवा.
उन्नाव।

आवेदन पत्र का नम्बर 05
प्रार्थी का नाम श्री रामदेव शुक्ला
लिखे गए शब्द 16
लगे हुए ... छाया प्रति

आवेदन पत्र देने का दिनांक 06/10/2008
नकल तैयार करने का दिनांक 06/10/2008
... 13=00
... 06/10/2008

सत्य प्रतिलिपि
06/10/2008
1=2.0
दर्ज किया

5 टिकट
13=00

3-9-2009

COURT FEE INDIA ONE RUPEE
COURT FEE INDIA TWO RUPEES